भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-52
उत्तर दिनांक 03.12.2025 को दिया गया

परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन

*52. डॉ. शशि थरूर

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के साथ किए गए समझौतों की भांति विदेशी निकायों के साथ परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाने से पहले उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व की सीमा को परिभाषित करने सहित आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व को सीमित करने के लिए परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधनों का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संशोधनों को संसद के समक्ष कब तक रखे जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या परमाणु दुर्घटना की स्थिति में परमाणु सुरक्षा के प्रति जवाबदेही और पीड़ितों के अधिकारों पर ऐसे संशोधनों से पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है कि दायित्व संबंधी प्रावधानों में ढील दिए जाने के बावजूद सुरक्षा मानकों और विनियामक निगरानी को सुदृढ़ किया जाए; और

(ङ) क्या संशोधित दायित्व ढ़ांचे के अंतर्गत संभावित क्षति की स्थिति से निपटने के लिए किसी प्रतिपूर्ति ढ़ांचे या बीमा पूल का प्रस्ताव या विस्तार किया जा रहा है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

"परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन" के संबंध में डॉ. शशि थरूर द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *52 के भाग (क) से (ङ), जिसका उत्तर दिनांक 03.12.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में प्रस्तुत विवरण

(क) से (ङ) वित्त वर्ष 2025 बजट घोषणा के दौरान, सरकार ने घोषणा की है कि निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाने के लिए नाभिकीय क्षति असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनयम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन किए जाएंगे।

परमाणु ऊर्जा बिल 2025 का मसौदा वर्तमान में प्रक्रिया के उन्नत चरण में है और विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त अंतिम टिप्पणियों और सुझावों को क्रमबद्ध रूप से शामिल किया जा रहा है, साथ ही कानूनी तौर पर अनुपालन के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय भी इसका आवश्यक परीक्षण कर रहा है। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले, विधेयक के विशिष्ट पहलुओं के संबंध में सरकार के नीति निर्देशों को उचित तरीके से शामिल किया जा रहा है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों/चिंताओं से संबंधित सटीक कार्यप्रणाली, प्रस्तावित संशोधनों में विचार की जा रही है और संबंधित मंत्रालयों द्वारा मसौदा का परीक्षण किए जाने और सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

*****